13 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल के छठी बैठक का कार्यवृत्त

13 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में श्री बी.एन. नवलावाला, अध्यक्ष, कार्यबल तथा मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अध्यक्षता के अंतर्गत नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल की छठी बैठक आयोजित हुई थी। संलग्नक-I के रूप में इस बैठक में उपस्थित सहभागियों की सूची अनुलग्नित है।

आरंभ में, श्री बी.एन. नवलावाला, अध्यक्ष, कार्यबल तथा मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने सभी सदस्यों, विशेष अतिथियों तथा बैठक में उपस्थित अन्य सहभागियों का हार्दिक स्वागत किया। अपने आरंभिक भाषण में, उन्होंने विशेष रूप से संबंधी राज्यों के मध्य गैर-मतैक्यता के कारण नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति पर चिंता प्रकट की। न.के.अं की परियोजनाओं की पू.व्य.रि/ व्य.रि और कुछ निश्चित परियोजनाओं की वि.प.रि पहले से तैयार है। संबंधी राज्यों के परामर्श से इन रिपोर्टों को तैयार किया गया है। महानदी-गोदावरी लिंक का उदाहरण देते हुए, उन्होंने बताया कि कार्यबल/ उप-समितियों के भिन्न बैठक में राज्यों का प्रतिनिधित्व करते अधिकारी आम तौर पर कार्यबल/ उप-समिति के दृष्टिकोण से सहमति प्रकट करते हैं, पर जब राज्यों के तरफ से औपचारिक सहमति प्रदान करने का सवाल आता है, तब वे बैठक में अपने प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त राय से एकदम विपरीत राय प्रकट करते हैं। अतः, उन्होंने महत्वपूर्ण लिंकों पर संबंधी राज्यों के मध्य मतैक्यता निर्माण हेतु एक तंत्र या प्रक्रिया विकसित करने पर जोर दिया था। कार्यबल के अध्यक्ष बैठक में सहभागिता के लिए आमंत्रित नए सदस्यों के विषय में जानना चाहते थे। रा.ज.वि.अ. के निदेशक (तक) ने सूचित किया कि ई-मेल के माध्यम से सभी नए सदस्यों को आमंत्रण पत्र एवं एजेंडा भेजा गया था और तीन नए सदस्यों में से वे केवल दो सदस्यों से ही फोन पर बातचीत कर पाए थे। उन सदस्यों ने कहा कि वे बैठक में उपस्थित नहीं रह पाएंगे क्योंकि वे पहले से ही किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। हालांकि, संपर्क नंबर उपलब्ध न होने के कारण वे श्री दुलाल चंद गोस्वामी से संपर्क नहीं कर पाए थे।

उसके बाद, कार्यबल के अध्यक्ष ने रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक और कार्यबल के सदस्य-सचिव से एजेंडा मुद्दे पर चर्चा आरंभ करने का अनुरोध किया था।

मुद्दा संख्या 6.1: 25 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल के 5 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

रा.ज.वि.अ. के महानिदेश तथा कार्यबल के सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि दिनांकित 23.11.2016 पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को 25 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल (न.के.अं.-का.ब) के पाँचवीं बैठक की कार्यवृत्त संचारित की गई थी। पत्र दिनांकित 07-01-2017 के माध्यम से तेलंगाना सरकार ने जल संतुलन अध्ययनों की तैयारी हेतु दिशा-निदेशों पर अपना अवलोकन संप्रेषित किया था, जिसका उत्तर रा.ज.वि.अ. के पत्र दिनांकित 02.01.2017 के माध्यम से दिया गया था। क्योंकि इन अवलोकनों के कारण कार्यवृत्त में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, अतः संचारण अनुसार कार्यबल के पाँचवीं बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

मुद्दा संख्या 6.2: पिछली बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर निष्पादित अनुवर्ती कार्यवाही

(i) अधिशेष जल तथा ज.सं.अ.तै के दिशा-निदेश

सदस्यों ने एजेंडा में प्रस्तुत जानकारियों को नोट किया था। रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने उल्लेख किया कि मुद्दा संख्या 6.3 के अंतर्गत इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

(ii) कानूनी पहलुओं पर एक समूह का संस्थापन

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि श्री ए.डी. मोहिले के अध्यक्षता के अंतर्गत न.के.अं-का.ब के तहत गठित कानूनी पहलुओं के समूह की तब तक छह बैठक क्रमशः 19.8.2016, 15.9.2016, 28.10.2016, 4.11.2016, 2.12.2016 और 02.02.2017 को आयोजित हो चुकी थी। कार्यबल के अध्यक्ष ने श्री ए.डी. मोहिले से रिपोर्ट जमा किए जाने की संभाव्य तिथि के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। श्री. ए.डी. मोहिले ने कहा कि 31.3.2017 तक रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी।

(iii) नव नियुक्त सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता/ महंगाई भत्ता

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि न.के.अं-का.ब के नव सहयोजित सदस्यों के अनुमेय या.भ/ म.भ के संबंध में ज.सं, न.वि और गं.सं. मंत्रालय ने पत्र संख्या 2/5/2015-बी.एम/25590-25601 दिनांकित 23.1.2017 के माध्यम से आवश्यक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। कार्यबल के अध्यक्ष सहयोजित सदस्यों के भत्ता अधिकारों के संबंध में जानना चाहते थे। रा.ज.वि.अ. के सूचित किया कि का.ज्ञा के अनुसार सदस्यों (सेवा-निवृत्त सरकारी अधिकारी) को उनके सेवा-निवृत्ति के समय स्वीकार्य या.भ/ म.भ के समान भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा और अन्य सदस्यों के मामले में या.भ/ म.भ प्राप्ति अधिकार क.प्र.वि. के दिशा-निदेशों अनुसार रु. 6600/- प्रति माह की ग्रेड वेतन प्राप्त करते सरकारी अधिकारियों को प्रदत्त भत्ते के समाना होगा। न.के.अं-का.ब के अध्यक्ष ने कम भत्ता अधिकार पर अपनी चिंता प्रकट की और उन्होंने रा.ज.वि.अ. से अन्य मंत्रालयों द्वारा संस्थापित समान समितियों के सदस्यों के या.भ/ म.भ अधिकारों के विषय में पूछताछ करने का अनुरोध किया था।

मुद्दा संख्या 6.3: किसी नदी के जलाशय में जल संतुलन अध्ययन निष्पादित करने हेतु रा.ज.वि.अ. के दिशा-निदेशों की समीक्षा

तेलंगाना के प्रतिनिधि ने संचारित दिशा-निदेशों के अनुच्छेद 5.2.4 (ऊर्ध्वप्रवाह उपयोग) में प्रदर्शित सिंचाई परियोजना के मामले में भण्डारण प्रभाव पर विचार करने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (कृ.ज.वि.न्या)-II ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी भण्डारण प्रभाव पर विचार किया था। अतः दिशा-निदेशों के उपर्युक्त अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है। श्री ए.डी. मोहिले ने सुझाव दिया कि इस पहलू पर तब विचार किया जाना होगा जब उद्वाहित भण्डारण प्रदान किया गया हो जबकि श्री गोपालकृष्णन ने यह दलील देकर मौजूदा दिशा-निदेशों का समर्थन किया कि इनमे वाष्पीकरण हानियों पर भी विचार किया गया है। श्री पांड्या ने बताया कि किसी निर्धारित वर्ष में जलाशय का भराव तथा रिक्तिकरण एक गतिशील प्रक्रिया है। अतः सिंचाई परियोजनाओं में भण्डारण प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए। विस्तृत चर्चा के पश्चात, अनुच्छेद को निम्न अनुसार संशोधित करने का फैसला किया गया था:

"अछूते उत्पादन के आगणन के लिए भिन्न परियोजनाओं के भण्डारण प्रभाव पर उचित रूप से विचार किया जाना होगा।"

अंतर बेसिन जल अंतरण के लिए श्री घोष ने विरूपित शस्य स्वरूप में सुधार कर जल अधिशेष वाले राज्य सरकारों को प्रेरणामूलक लाभांश प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यबल के अध्यक्ष ने श्री घोष जी के सुझाव से सहमति प्रकट करते हुए, उन्होंने जल उपयोग प्रभावकारिता के अनुकूलन स्तर तक संवर्धन की आवश्यकता पर जोर दिया था। अनुच्छेद 5.2.5 का सन्दर्भ देते हुए श्री घोष ने उल्लेख किया कि दो प्रकार के बाद के समीकरणों (रैखिक तथा अरैखिक) के

वजाय केवल अरैखिक समीकरण पर विचार करना चाहिए। श्री मोहिले ने रैखिक तथा अरैखिक समीकरणों दोनों के उपयोग की आवश्यकता के बारे में समझाया। अतः, किसी प्रकार के परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया गया था।

श्री जेयासलीन ने कहा कि पृष्ठ-20 तथा पृष्ठ-36 में भू जल से संबंधित अनुच्छेद के तहत उल्लिखित कथन सुसंगत नहीं हैं। उचित संशोधन करने का निर्णय लिया गया था ताकि प्रासंगिक अनुच्छेदों में मौजूद किसी प्रकार की विसंगतियों को दूर किया जा सके।

महाराष्ट्र के प्रतिनिधि ने यह प्रकट किया कि राज्य नीति के अनुसार महाराष्ट्र में ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन सार्वजनिक जल के उपभोग को 100 लीटर कर दिया गया है जबकि रा.ज.वि.अ. के दिशा-निदेशों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 70 लीटर जल के उपभोग का प्रावधान है। इस संबंध में अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों ने यह दलील देकर रा.ज.वि.अ. के दिशा-निदेशों से सहमति प्रकट की कि अंतर बेसिन जल अंतरण के लिए जल के उपयोगों पर निश्चित प्रतिबन्ध होना चाहिए।

यह निर्णय लिया गया था कि उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए रा.ज.वि.अ. किसी नदी के जलाशय में अधिशेष जल के परिकलन और जल संतुलन अध्ययनों की तैयारी के दिशा-निदेशों को संशोधित कर सकता है एवं इस पर चर्चा तथा स्वीकृति के लिए इसे कार्यबल के अगली बैठक के एजेंडा मुद्दों में शामिल किया जा सकता है।

मुद्दा संख्या 6.4: कानूनी समूह के समय-अवधि में विस्तारण तथा इस समूह के अध्यक्ष की नियुक्ति

नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल के तहत रा.ज.वि.अ. के का.ज्ञा. दिनांकित 18.7.2016 के माध्यम से संस्थापित कानूनी पहलुओं पर समूह को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था। कार्य की मात्रा तथा विषयांकित में शामिल मुद्दों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए समूह को विचार-विमर्श करने और उचित संस्तुतियां प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता थी। अतः का.ब के पाँचवें बैठक में न.के.अं के कार्यबल के अध्यक्ष ने कानूनी पहलू समूह के कार्यकाल को 20 नवम्बर, 2016 के अवधि तक विस्तृत करने की सहमति जताई।

श्री ए.डी. मोहिले, कानूनी समूह के अध्यक्ष ने बताया कि कानूनी समूह ने अब तक क्रमशः 19.8.2016, 15.9.2016, 28.10.2016, 4.11.2016, 2.12.2016 और 02.02.2017 को छह बैठकें आयोजित की है। 14.02.2017 को समूह की सातवीं बैठक आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमे सर्वप्रथम समूह की मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा की जाने की संभावना है। हालांकि, अंतिम रिपोर्ट बनाने में कुछ और समय लगेगा। कार्यबल के अध्यक्ष श्री मोहिले से रिपोर्ट जमा किए जाने की संभाव्य तिथि के बारे में जानना चाहते थे। श्री ए.डी. मोहिले, कानूनी समूह के अध्यक्ष ने बताया कि 31.3.2017 तक रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी।

विस्तार पूर्वक चर्चा के पश्चात, कार्यबल ने 31.3.2017 तक कानूनी समूह के कार्यकाल में विस्तारण के प्रति स्वीकृति प्रदान की थी। हालांकि, रा.ज.वि.अ. के विभिन्न लिंकों में सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यह भी तय किया गया था कि रा.ज.वि.अ. को कुमारी मीरा शंकर, सेवा-निवृत्त भा.वि.से अधिकारी को कार्यबल के सदस्य के रूप में सहयोजित करने की कार्यवाही आरंभ कर देना चाहिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए रणीनीति निर्धारित करने में सहायता मिलेगी।

मुद्दा संख्या 6.5: महानदी-गोदावरी लिंक का प्रणाली अनुरूपण अध्ययन

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि 30.08.2016 को आयोजित उप-समिति की 9 वीं बैठक के दौरान ओडिशा सरकार के अवलोकनों सहित रा.ज.सं द्वारा तैयार किया गया "महानदी-गोदावरी लिंक की प्रणाली अनुरूपण अध्ययनों" रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी। रा.ज.सं ने इस अध्ययन की अतिरिक्त समीक्षा की है और कुछ दिनों में उप-समिति II की आयोजित होने वाली अगली बैठक में इस संशोधित/ समीक्षित रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद, कार्यबल को और नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए गठित विशेष समिति को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा।

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने यह भी कहा कि ओडिशा सरकार के वर्तमान दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक (हिमालय लिंक) के योगदान पर विचार किए बिना महानदी-गोदावरी लिंक का कार्यान्वयन करना संभव नहीं होगा। श्री घोष जी ने भा.कृ.अ.प या किसी प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से शस्य प्रतिरूपण अध्ययन आयोजित करवाने की सलाह दी ताकि जिस क्षेत्र में कोई विशेष फसल उत्पन्न किया जा सकता है, उस क्षेत्र का निर्धारण किया जा सके और शस्य डेल्टा का वास्तविक आंकलन किया जा सके।

श्री घोष ने यह सलाह भी दिया कि पर्यावरणीय प्रवाह का वास्तविक आंकलन करने के लिए महानदी जलाशय का पर्यावरण अध्ययन निष्पादित किया जाना चाहिए ताकि बाद में इस पहलू पर ओडिशा के दृष्टिकोण पर चर्चा किया जा सके। श्री मोहिले ने बताया कि चिलिका झील के संबंध में कुछ अध्ययन किए गए हैं, जिसका सन्दर्भ भी लिया जाना चाहिए।

मुद्दा संख्या 6.6: मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा (मा.सं.ति.गं) लिंक

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने एजेंडा नोट्स में प्रदत्त अनुसार कार्यबल के सदस्यों को मा.सं.ति.गं लिंक के आधुनिक स्थिति के विषय में समझाया। कार्यबल के अध्यक्ष ने बताया कि हिमालयी लिंकों के योजना में सम्मिलित नेपाल/ भूटान से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का संबोधन नेपाल/ भूटान के विदेश मंत्रालय (वि.मं) के ज़रिए किया जाना चाहिए। संकोष जल विद्युत परियोजना के वित्त-पोषण के संबंध में श्री पांड्या जी ने बताया कि इस परियोजना का वित्त-पोषण अंतर्राष्ट्रीय सरकारी मोड में है और मानस जल विद्युत परियोजना के मामले में वि.मं ऐसी स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकता है। इस विषय में वे संयुक्त उद्यम (सं.उ) वित्त-पोषण तरीका अपना सकते हैं। सदस्यों ने बांग्लादेश के साथ तिस्ता नदी का जल साझा का मुद्दा, इस मामले में मंत्रालय के शामिल होने का मुद्दा और पश्चिम बंगाल के चिंताओं का मुद्दा उठाया।

विस्तृत चर्चा के बाद, यह तय किया गया कि कार्यबल के अध्यक्ष, माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण संघ मंत्री जी का ध्यान मा.सं.ति.गं पर कार्यबल के चिंताओं के तरफ आकर्षित करने के लिए उन्हें मा.सं.ति.गं पर कार्यबल के चिंताओं के विषय में प्रदर्शन करता एक नोट भेजेंगे और एक दिशा-निर्देशिका का सुझाव देंगे।

मुद्दा संख्या 6.7: कार्यबल-I के कार्य योजना-II में प्रस्तावना अनुसार न.के.अं की परियोजनाओं का वित्त-पोषण

श्री घोष जी ने अगली बैठक ने वित्त-पोषण स्वरूप पर प्रस्तुतीकरण पेश किए जाने की इच्छा प्रकट की थी। रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने बताया कि जिन तीन परियोजनाओं की वि.प.रि तैयार की जा चुकी है, उन तीन परियोजनाओं के अलावा न.के.अं के अन्य परियोजनाओं की लागत की पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा, केवल केन-बेतवा लिंक परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किए जाने पर इसके वित्त-पोषण पर निर्णय लिया गया है। हालांकि, परियोजना-से-परियोजन आधार पर न.के.अं के अन्य परियोजनाओं के वित्त-पोषण का निर्णय लिया जाना होगा। विस्तार-पूर्वक विचार-विमर्श के पश्चात, कार्यबल ने निम्न निर्णय लिया:

(i) अगली बैठक में न.के.अं की परियोजनाओं के वित्त-पोषण पर एक प्रस्तुतीकरण का प्रबंध करने और

(ii) न.के.अं की परियोजनाओं के वित्तीय पहलुओं पर ध्यान देने के लिए श्री प्रोदिप्तो घोष के अध्यक्ष के तहत एक वित्तीय उप-समिति संस्थापित करना (कानूनी समूह के स्वरूप में)। इसमें 2-3 सदस्य होने चाहिए। प्रस्तावित उप-समिति में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित सदस्यों के नाम हैं: निदेशक (वित्त), रा.ज.वि.नि; श्री राणा, येस बैंक के अध्यक्ष; श्री प्रतिप चौधरी, पूर्व अध्यक्ष, भा.स्टे.बैं; श्री एच. सतीश राव, निदेशक, ए.वि.बैं; सं.वि.वि.क या भा.औ.वि.बैं बैंक के प्रतिनिधि; नीति आयोग या वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि।

मुद्दा संख्या 6.8: कोई अन्य मुद्दा

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि कार्यबल का वर्तमान कार्यकाल अप्रैल, 2017 तक का है। अतः, नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए गठित विशेष समिति से कार्यबल के कार्यकाल में कम से कम एक वर्ष के विस्तारण का अनुरोध करने की आवश्यकता है। सदस्यों की राय यह थी कि कार्यबल, नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के विशेष समिति का एक तकनीकी अंग है। इसलिए, इसका कार्यकाल स्थिर नहीं होना चाहिए बल्कि इसका कार्यकाल न.के.अं.वि.स के कार्यकाल से सह-सीमावर्ती होना चाहिए। हालांकि, आरंभ में सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होना चाहिए और उसके बाद या तो सदस्यों को विस्तारण प्रदान किया जा सकता है या उनके बदले नए सदस्य को रखा जा सकता है। तदनुसार, अगली बैठक में न.के.अं.वि.स का ध्यान इस मुद्दे के तरफ आकर्षित किया जा सकता है।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक।

13.02.2017 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल के छठे बैठक के सदस्यों, विशेष अतिथियों तथा सहभागियों की सूची

1	श्री बी.एन नवलावाला, मुख्य सलाहकार, ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय	अध्यक्ष
2	श्री नरेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
3	श्री प्रोदिप्तो घोष, पूर्व सचिव, भारत सरकार	सदस्य
4	श्री ए.डी मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
5	श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय	सदस्य
6	श्री एम. गोपालकृष्णन, पूर्व सचिव, भारत सरकार	सदस्य
7	श्री एस.मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.	सदस्य-सचिव
	विशेष अतिथिगण	
8	श्री आर.जेयासलीन, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ	विशेष अतिथि
9	श्री ए.बी. पांड्या, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ	विशेष अतिथि
10	श्री सी.ए. बिराजदार, महानिदेशक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था (म.अ.अ.सं), नासिक, महाराष्ट्र	प्रधान सचिव (ज.सं.वि), महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि
11	श्री जे. विजय प्रकाश, मुख्य अभियंता (प्रशासन), सिंचाई एवं सी.ए.डी विभाग, तेलंगाना सरकार, हैदराबाद	प्रधान अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं सी.ए.डी, तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधि
12	श्री के.बी रबडिया, मुख्य अभियंता (महासचिव) एवं अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार,	सचिव, ज.सं.वि, गुजरात सरकार के प्रतिनिधि

	गांधीनगर	
13	श्री डी.आर मीना, मुख्य अभियंता, रा.ज.सं.यो.वि, जल संसाधन विभाग, जयपुर (राजस्थान)	सचिव, ज.सं.वि, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि
14	श्री टी. गिरिधर राव, कार्यकारी अभियंता, सी/ओ सी.ई, स.क.अ.सं, आंध्र प्रदेश सरकार, विजयवाडा	प्रधान ख्य सचिव, सिंचाई एवं सी.ए.डी, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद के प्रतिनिधि
	राज्य सरकार के अन्य अधिकारी	
15	श्री सी.एन. मली, अधीक्षण अभियंता, आंकड़ा विश्लेषण सर्कल, जल विद्यान भवन, नासिक-4, महाराष्ट्र	
16	श्री आर. वेंकट रमना, कार्यकारी अभियंता, सिंचाई एवं सी.ए.डी, विभाग, तेलंगाना सरकार	
17	श्री पी.वी.एस.एस.यु.पी राजू, उप कार्यकारी अभियंता, ओ/ओ सी.ई, स.क.अ.सं, आंध्र प्रदेश सरकार, विजयवाडा	
	रा.ज.वि.अ. के अधिकारी	
18	श्री एम.के श्रीनिवास मुख्य अभियंता (दक्षिण), रा.ज.वि.अ., हैदराबाद	
19	श्री आर.के जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली	
20	श्री एन.सी जैन, निदेशक (तक), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली	
21	श्री के.पी गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली	
22	श्री राकेश कुमार गुप्ता, कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय) नई दिल्ली	
23	श्री एम.के सिन्हा, वरिष्ठ सलाहकार, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली	
24	श्री आर.के अग्रवाल, मध्यम स्तरीय सलाहकार, नई दिल्ली	